संख्या-90/23/2169/77-3-2023-31(भा)/1984

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2023

विषय- मे० जिरॉक्स इण्डिया लि० (मे० मोदी जिरॉक्स लि०) को गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के अधीन आवंटित/हस्तांतरित पट्टागत भूमि की लीजडीड नवीनीकरण (तीस वर्षों हेतु) के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–303/डी०एल०आर०सी०, दिनांक 06.07.2023 एवं पत्र संख्या–2757/जि०उ०प्रो०उ०वि०के०/रा०/मोदी जीरॉक्स/2023-24, दिनांक 23.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-56/1-1(12)/1984-राजस्व-1, दिनांक 11.04.1985 (प्रति संलग्न) के क्रम में तत्कालीन उद्योग अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-1633/भा०उ०/18-11-31(भा)/84, दिनांक 10.05.1985 (प्रति संलग्न) द्वारा जनपद रामपुर की तहसील तथा परगना रामपुर के ग्राम दुरगूनगला, फैजुल्लानगर तथा शहजादनगर में स्थित 79.61 एकड़ भूमि को मेसर्स मोदी जीरॉक्स लिमिटेड, रामपुर को जीरोग्राफिक मशीनों का कारखाना लगाये जाने हेतु गवर्नमेंट ग्राण्ट एक्ट, 1895 के अन्तर्गत 30 वर्ष के पट्टे पर, जिसमें 30-30 वर्षों के लिये 02 बार नवीनीकरण के प्राविधान के साथ कतिपय अन्य शर्तों के साथ इस शर्त के अधीन दी गयी थी कि कम्पनी से रू० 100/- (एक सौ) एकमुश्त प्रतीक नजराना तथा मालगुजारी के बराबर वार्षिक किराया देय होगा। उक्त के क्रम में मेसर्स मोदी जीरॉक्स लिमिटेड के साथ पट्टे की लीजडीड दिनांक 21.09.1985 को निष्पादित हुई, जिसकी 30 वर्ष की अवधि दिनांक 20.09.2015 को समाप्त हो गयी है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स मोदी जीरॉक्स लिमिटेड, रामपुर को जीरोग्राफिक मशीनों का कारखाने के स्थान पर कम्पनी एयर क्रिट फ्रीफैब टेक्नोलॉजी (कंस्ट्रक्शन सेक्टर) का यूरोपीय कम्पनी के टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना हेतु गवर्नमेंट ग्राण्ट एक्ट, 1895 के अन्तर्गत दी गयी 79.61 एकड़ पट्टागत भूमि को पूर्व लीजडीड दिनांक 21.09.1985 की शर्तों के अनुसार दिनांक 21.09.2015 से दिनांक 20.09.2045 (30 वर्ष) तक की अवधि हेतु लैण्ड रेवेन्यू को वार्षिक रेंट पर निर्धारित करते हुए पट्टे का नवीनीकरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- कम्पनी द्वारा राजस्व विभाग के नियम/अधिनियमों/शासनादेशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमान्तर्गत यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- उक्त पट्टागत भूमि के नवीनीकरण के विलेख पर होने वाला समस्त व्यय मेसर्स मोदी जीरॉक्स लिमिटेड द्वारा वहन किया जायेगा।

5- जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मेसर्स मोदी जीरॉक्स लिमिटेड द्वारा उक्त पट्टागत भूमि पर प्रस्तावित मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी को 05 वर्ष के अन्दर स्थापित किया जाए अन्यथा की स्थिति में उक्त भूमि राज्य सरकार में पुन: निहित हो जायेगी।

6- शासनादेश संख्या-1633/भा०उ०/18-11-31(भा)/84, दिनांक 10.05.1985 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

<u>संख्या-90/23/2169(1)/77-3-2023-31(भा)/1984, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, भूमि अध्याप्ति राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।
(5) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
(6) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), 20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
(7) अधिकृत प्राधिकारी, मेसर्स मोदी जीरॉक्स लिमिटेड, 5वां तल, ब्लॉक-1, वाटिका बिजनेस पार्क, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुरूग्राम हरियाणा-122018
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in